

प्रपत्र-1
नलकूप खनन हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

उप संचालक कृषि,

जिला -

मैं कृषि विभाग से नलकूप खनन तथा उस पर पंप स्थापित करवाकर इस पर देय अनुदान हेतु आवेदन करता हूँ। विवरण निम्नानुसार है :-

1. मैं (नाम कृषक) पिता
- जाति कुल रकबा ग्राम पटवारी
- हल्का नंबर तहसील वि.खं.
- जिला (छ.ग.) का निवासी है।
2. मैं अपनी निजी भूमि जिसके विवरण निम्नानुसार है, पर नलकूप स्वयं के व्यय/बैंक ऋण पर खनन (मय पंप सेट्स) करवाकर पंप स्थापित करना चाहता हूँ।
मेरी (कृषक की) सम्पूर्ण भूमि विकास विवरण (हेक्टेयर में)

कृषक का नाम	ग्राम	जाति	खसरा नं. (सर्वे नं.)	कुल जोत क्षेत्र (हे. में)	सर्वे क्रमांक जिसमें नलकूप किया जाना है
1	2	3	4	5	6

3. नलकूप निर्माण के लिये आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ संलग्न है।
(खसरे एवं नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि)
4. नलकूप के खनन (पंप सेट्स) स्वयं के व्यय/बैंक ऋण से व्यय वहन करूंगा।
5. मैं निम्न संस्थाओं से नलकूप खनन कराना चाहता हूँ :-
अ. कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री
- ब. क्षेत्रीय प्रबंधक, छ.ग. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
- स. मेसर्स श्री पंजीयन क्रमांक या खनन के समय उपलब्ध पंजीकृत ठेकेदार से।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर कृषक

गवाह :-

1. नाम (नाम))

पता

2. नाम

पता

नलकूप योजना हेतु : प्रपत्र-2

विकासखण्ड कार्यालय द्वारा कृषि विभाग का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कृषक श्री
 पिता निवासी ग्राम तहसील
 विकासखंड जिला के नलकूप हेतु प्रेषित आवेदन
 पत्र की जांच कर ली है और स्थल निरीक्षण कर लिया है तथा उसके विवरण सही पाये हैं।

कृषक को ऋण स्वीकृत करने / स्वयं के व्यय से प्रस्तावित स्थल खसरा नं.
 ग्राम पर नलकूप निर्माण (मय पंप सेट्स) की स्वीकृति प्रदान करने हेतु
 अनुसंशा की जाती है। कृषक को नलकूप खनन कार्य पर कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम राशि
 रू. 8000.00 अक्षरों में रूपये आठ हजार रूपये) व पंप स्थापना पर 50 प्रतिशत (अधिकतम राशि रू.
 10000.00 अक्षरों में रूपये दस हजार रूपये) तक अनुदान की पात्रता होगी।

1. हस्ताक्षर

पद वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
 कार्यालय

2. हस्ताक्षर (नाम)

.....
 अनुविभागीय कृषि अधिकारी / कृषि यंत्री
 जिला

प्रति,

उप संचालक कृषि
 जिला

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र : प्रपत्र-3

1. कृषक का नाम :
 2. पिता/पति का नाम :
 3. ग्राम व प.ह.न. :
 4. जाति/वर्ग : सा./अ.जा./अ.ज.जा., जाति
 5. कृषक का पूर्ण डाक पता :
 6. कृषक का कुल रकबा : हेक्टेयर
(ऋण पुस्तिका के आधार पर) लघु/सीमान्त/दीर्घ
 7. नलकूप के लिये प्रस्तावित स्थल : खसरा नं. रकबा हे.
का खसरा नं. व रकबा
 8. यदि अन्य कृषक से सहमति ली : सहमति देने वाला कृषक का नाम
गई हो तो उसका विवरण
खसरा नं.
रकबा हे. में
 9. नलकूप से सिंचित रकबा : खसरा नं.
(कृषक का) रकबा हे. में
 10. नलकूप से सिंचित रकबा : हे. में
(कृषक + सहमति)
 11. प्रस्तावित स्थल से निकटतम :
नलकूप की दूरी मीटर में
 12. कृषक का खाता जिस बैंक में हो: बैंक का नाम
उसका नाम व खाता क्रमांक खाता क्रमांक
प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री
- पिता/पति ग्राम के नलकूप निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल खसरा नं. का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक को किया गया एवं प्रस्तावित स्थल से 300 मीटर की दूरी में चारों तरफ कोई दूसरा नलकूप अस्तित्व में नहीं पाया गया, फलस्वरूप यह प्रमाण पत्र आज दिनांक को जारी किया गया।

सहायक परियोजना अधिकारी,
विकासखण्ड

ग्राम पंचायत (सरपंच) की अनुसंशा

कृषक श्री पिता/पति

ग्राम प.ह.न. को कृषि विभाग की अनुदान योजना पर
नलकूप निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल खसरा नं. रकबा पर नलकूप
निर्माण किये जाने हेतु अनुसंशा की जाती है।

हस्ताक्षर

सील

जनपद पंचायत की कृषि समिति का अनुमोदन

कृषि विभाग की नलकूप निर्माण पर अनुदान योजना "प्रथम आये प्रथम पाये" के तहत
कृषक श्री पिता/पति

जाति ग्राम के नलकूप निर्माण हेतु प्रकरण स्वीकृत
किये जाने हेतु अनुमोदन किया जाता है।

दिनांक :

हस्ताक्षर :

सील :

समक्ष पब्लिक नोटरी रायपुर छ.ग.

शपथ पत्र

मैं पिता/पति
जाति ग्राम प.ह.न. तहसील
विकासखण्ड का निवासी हूँ। पेशा कृषि कार्य का है। शपथ पूर्वक निम्नलिखित
कथन पेश करता हूँ :-

1. यह कि मैं काश्तकार हूँ तथा मेरी कृषि भूमि रकबा हे., ग्राम
प.ह.न. तहसील जिला रायपुर में स्थित
है।
2. यह कि मैं कृषि विकास के उद्देश्य से सिचाई हेतु कृषि विभाग की अनुदान योजना के तहत
नलकूप खनन कराकर उस पर सबमसिर्बल पंपसेट क्रय कर प्रतिस्थापित कराने का विचार किया
है।
3. यह कि उक्त प्रयोजन हेतु कृषि विभाग से शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुदान प्रकरण का
आवेदन प्रस्तुत किया हूँ।
4. यह कि मैं शपथ लेता हूँ कि मेरे सफल नलकूप पर प्रतिस्थापित किये जाने वाले सबमसिर्बल पंप
व सहायक सामग्री पर को अनुदान कृषि विभाग से प्राप्त होता है तो मैं पंप व सहायक सामग्री
को 5 वर्ष तक अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास विक्रय नहीं करूंगा। यदि मैं इसका
उलंघन करता हूँ शासन के नियमानुसार अनुदान राशि 12.5 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस
करूंगा।
5. यह कि यदि धनराशि वापस नहीं की गई तो सम्पूर्ण अनुदान मय ब्याज भूराजस्व की बकाया
बतौर वसूल की जा सकेगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

सत्यापन :-

मैं शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ
की कंडिका 1 से 5 तक में वर्णित सभी बातें सत्य व सही है। अतः आज दिनांक
को अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया है।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

नाम

प्रपत्र – 4

प्रमाण पत्र

मैं नाम कृषक आत्मज

निवासी ग्राम प.ह.नं. जिला में अवधि
दिनांक से दिनांक में नलकूप खनन पंपसेट्स फिट कराया
गया है इस हेतु व्यय स्वयं ने वहन किया। बैंक ऋण द्वारा भुगतान कराया है, जिसका विवरण
निम्नानुसार है –

1. कुल ड्रिलिंग गहराई मीटर ड्रिलिंग दर
रूपये प्रति कुल कीमत
व्यास ।
2. केसिंग पाईप मीटर केसिंग पाईप दर
रूपये मीटर ।
3. पंप का विवरण :-
पंप मेक हा.पा.
मूल्य ।

सहायक सामग्री विवरण

नाम कीमत मूल्य कुल
पंपसेट हेतु लागत रूपये मेरे नलकूप राशि
एवं पंप स्थापित राशि हेतु कुल राशि रूपये मेरे द्वारा वास्तवित
रूप से व्यय किया गया है।

हस्ताक्षर कृषक

.....